पुनः रोजगार दिया गया था। इस जिले के दो भूतपूर्व सैनिकों ने सेमफैक्स-3 योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन किया है।

मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में कैंटीन सुविधाएं स्थापित करना निम्नलिखित कारणों से व्यवहार्य नहीं पाया गया है:-

(क) राज्य सरकार से चल-कैंटीन के लिए शराब परमिट उपलब्ध न हो पाना।

(ख) मौजूदा सैन्य स्टेशनों/यूनिटों से दूरी लंबी होना।

(ग) केवल किराना मदों को इतनी अधिक दूरी तक भेजना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों का जिला-वार ब्यौरा

क्रम सं॰	जिला सैनिक बोर्ड	मध्य प्रदेश में जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की सं॰
1	2	3
1.	भिंड	2643
2.	भोपाल	1289
3.	बेतुल	287
4.	बिलासपुर	851
5.	छतरपुर	165
6.	छिंदवाड़ा	291
7.	दमोह	172
8.	दतिया	89
9.	धार	244
10.	देवास	252
11.	दुर्ग	519
12.	ग्वालियर	1701
13.	होशंगाबाद	404
14.	इंदौर	1928
15.	जबलपुर	3252
16.	मंदसौर	171
17.	मुरैना	1866
18.	नरसिंहपुर	359
19.	पन्ना	126
20.	रीवा	2012
21.	रायपुर	527
22.	राजनांदगांव	72
23.	रायगढ़	802
24.	रतलाम	182
25.	सागर	484
26.	सतना	1104
27.	सीधी	592
28.	शहडौल	247
29.	शिवपुरी	364
30.	सिवनी	116
31.	टीमकगढ़	138
32.	उज्जैन	498
	कुल :	23,747

टाडा पैनल का गठन

3140. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टाडा पैनल बनाया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसने राज्यवार कितने लंबित टाडा मामलों की समीक्षा की है;

(ग) इस पैनल में कौन-कौन व्यक्ति है;

(घ) क्या सरकार ने टाडा के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार और राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों के लिए पुनरीक्षा समितियां गठित की गई हैं। वे लंबित टाडा मामलों की पुनरीक्षा कर रही हैं तथा जरूरी समझे जाने पर स्थिति में सुधार ला रही हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा पुनरीक्षित मामलों की राज्य-वार संख्या तथा उन व्यक्तियों की संख्या, जिनके खिलाफ टाडा प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है, दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति में गृह सचिव, विधि सचिव, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा संयुक्त सचिव (आई. एस.-11), गृह मंत्रालय, शामिल होते हैं। राज्य पुनरीक्षा समिति में गृह सचिव (कानून और व्यवस्था), संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा विधि सचिव होते हैं। कुछ राज्यों में पुनरीक्षा समितियों का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होता है।

(घ) और (ङ) चूंकि टाडा मई, 1995 में समाप्त हो चुका है, अतः प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

लंबित टाडा मामलों की राज्य सरकारों द्वारा पुनरीक्षा का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पुनरीक्षित तथा उन मामलों की संख्या जिन्हें या तो रद्द/ वापस लिया गया, फाइल किया गया या जिनसे टाडा प्रावधानों को हटा लिया गया।	पुनरीक्षा के बाद उन व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ टाडा प्रावधानों हटाए गये।
1.	आन्ध्र प्रदेश	502	208
2.	अरूणाचल प्रदेश	16	15
3.	असम	1844	2229
4.	बिहार	59	754
5.	गुजरात	310	708
6.	गोवा	--	--
7.	हरियाणा	67	47
8.	हिमाचल प्रदेश	1	--
9.	जम्मू और कश्मीर	4865	23
10.	कर्नाटक	22	51
11.	केरल	--	--
12.	मणिपुर	537	92
13.	मध्य प्रदेश	134	90
14.	महाराष्ट्र	339 (272)	507
15.	मेघालय	7	--
16.	पंजाब	422	3919
17.	राजस्थान	60	87
18.	तमिलनाडु	16	51
19.	उत्तर प्रदेश	201	376
20.	पश्चिम बंगाल	--	--
21.	चंड़ीगढ़ प्रशासन	5	8
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	836	451
		10176	8516

ISD/STD/PCOs Allotted in Nalgonda and Warangal Districts in Andhra Pradesh

3141. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of ISD/STD/PCOs allotted for Nalgonda and Warangal districts in 1995-96 in Andhra Pradesh;

(b) the number proposed to be released for Warangal and Nalgonda districts under the ISD/STD/PCO category in 1996-97;

(c) whether applications have been invited from unemployed youths in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) Number of STD/ISD/PCOs allotted during 1995-96 in Nalgonda and Warangal districts are 78 and 101 respectively.

(b) Number of STD/ISD/PCOs proposed to be allotted during 1996-97 in Warangal and Nalgonda districts are 200 and 60 respectively subject to expansion of capacity of telephone exchanges in these districts.

(c) No, Sir, The applications, will be invited at the time of expansion of telephone exchange capacity at the two places.

(d) Does not arise in view of reply to part (c) above.

Implementation of Revised Scale of Grande-I Officers of the NCT of Delhi

3142. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the reasons for non-implementation of the revised scale of Grade-I Officers of the NCT of Delhi from Rs. 1640-2900/- to Rs. 2000-3200/- which was revised by his Ministry with concurrence of the Government of Delhi in March, 1996;

(b) the name of the authority which is responsible for non-implementation of the revised scale so far;